न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 53/2013

1 श्रीमती बसन्ती देवी बेवा स्व. नाथाराम जाति ब्राह्मण निवासी डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 रमेश कुमार
3 सुरेश कुमार
4 नरेश कुमार
5 महेश कुमार पुत्रान स्व. श्री नाथाराम जातिगण ब्राह्मण निवासीगण ग्राम डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कैलाश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्राराम जाति ब्राह्मण निवासीगण डूमोली खुर्द हाल रसूलपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 बनारसी देवी बेवा स्व. रामनिवास
3 पुरूषोतम पुत्र स्व. रामनिवास
4 प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री रामनिवास
5 प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री रामनिवास
6 शिवशंकर पुत्र स्व. श्री रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासीगण डूमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
7 मु. संतोष पुत्री स्व. रामनिवास पत्नी नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी खामपुर तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
8 मु. सरोज पुत्री स्व. रामनिवास पत्नी नरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बसई तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
9 मु. सविता पुत्री स्व. रामनिवास पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बेवल तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
10 फुलाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

11 श्योप्रसाद पुत्रान चन्द्राराम जाति ब्राह्मण निवासी डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।
13 एस.बी.बी.जे ब्रांच पचेरी कलां जरिये शाखा प्रबन्धक पचेरी कलां जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध अंतिम डिक्री एवं निर्णय
दिनांक 13.09.2012 श्रीमान एस.डी.ओ साहब
बुहाना बमुकदमा उनवानी कैलाश बनाम रामनिवास
मुकदमा घोषणा एवं खाता विभाजन एवं स्थाई
निषेधाज्ञा मु.नं. 141/2011

उपस्थिति :

1. श्री सुशील कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सत्यवीर दारोता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 3·1·25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 141/2011 में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खाता संख्या 142 खसरा नम्बर 206, 517, 518, 519, 520, 521, 866, 944, 945, 1636, 1642, 1774 वाके ग्राम डूमोली खुर्द का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दिनांक 13.09.2012 को विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया। दिनांक 13.09.2012 को ही न्यायालय में पेश किया गया एवं दिनांक 13.09.2012 को ही विचाराधीन निर्णय पारित फरमा दिया अर्थात विभाजन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की ओर से यदि किसी के भी द्वारा कोई एतराज पेश होता है तो उसे न्यायालय द्वारा सुनकर ही ऐतराज निस्तारण अनुसार ही निर्णय किया जाना चाहिये। दिनांक 13.09.2012 को जो विभाजन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को अगर देखा जावें तो दोनों पक्षों को कमीश्नर द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है बल्कि यह ओर कि विचारण न्यायालय द्वारा श्रीमान तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त किया गया तथा उन्हीं से विभाजन प्रस्ताव मांगा गया है जबकि कमीश्नर नियुक्त किया गया तथा उन्हीं से विभाजन प्रस्ताव मांगा गया है जबकि विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है तथाकथित विभाजन प्रस्ताव कमीश्नर महोदय तहसीलदार साहब की मौजूदगी में उनके निर्देशन में तैयार किया गया है ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव पर मु. बसन्ती देवी के अगूंठा निशानी धोखे से लगवाई गई है। उसे यह कहां गया कि उसकी 12 बीघा भूमि उसके खाते में अलग से चढ़ाई जा रही है एवं चुंकी मु. बसन्ती देवी भोली भाली ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है। जिसने उन पर विश्वास कनके अगूंठा लगा दिया। इस प्रस्ताव एवं नजरी नक्शे पर अपीलार्थी रमेश कुमार के फर्जी दस्तखत तैयार किये गये है वास्तव में तथाकथित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

दिनांक 11.01.2012 अथवा दिनांक 13.01.2012 को रमेश कुमार ग्राम डूमोली में था ही नहीं इसी कारण प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण को तथाकथित विभाजन प्रस्ताव की ना तो जानकारी थी एवं ना ही उन्हें इस ऐतराज पेश करने का अवसर दिया गया। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नजरी नक्शा पर कमशः प्रदर्श 'अ' एवं 'ब' लगा रखे है जो किस गवाह ने प्रदर्श किया है अंकित नहीं है इससे भी स्पष्ट पता चलता है कि विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया को नहीं अपनाया गया है। विवादित भूमि का विभाजन पक्षकारान के पूर्वजो के समय ही किया गया था उस समय पर ग्राम डूमोली में ब्राह्मण, जाति में प्रचलित रीति रिवाजों के मुताबिक बंटवारा करते समय सबसे पहले सबसे छोटे पुत्रों को उनकी इच्छा पुछी जाती है तत्पश्चात उसके बाद फिर उससे बड़े पुत्र को इस प्रकार बंटवारे का कम नीचे उपर की ओर चलता है। हस्तगत प्रकरण में भी यही हुआ था। स्व. चन्द्राराम की भूमि विवादित का बंटवारा करते समय सर्व प्रथम सबसे पहले छोटे पुत्र श्योप्रसाद से कम शुरू करते हुये उपर की तरफ आये तो सभी छोटे पुत्रों ने सड़क के किनारे एवं ग्राम की बस्ती के पास की भूमि को चुना एवं सबसे अन्त में खेत की भूमि बची जो उपजाऊ न हो कर कमजोर भूमि थी तथा 12 बीघा खाम एक स्थान पर थी जो चन्द्राराम के सबसे बड़े पुत्र नाथा के हिस्से में रख दी गई। यहां यह तथ्य भी विशेष उल्लेखनीय है कि स्व. चन्द्राराम के कुल 52 बीघा खाम भूमि थी चूंकि सबसे बड़े पुत्र नाथाराम को उर्वरा शक्ति के हिसाब से सबसे कमजोर भूमि दी गई जो गांव से भी काफी दूरी पर स्थित थी। इस कारण नाथाराम को 12 बीघा खाम भूमि दी गई अन्य चार पुत्रान को 10–10 बीघा खाम भूमि हिस्से में रखी गई सभी हिस्सेदारान के हिस्से में आई भूमि को ही सभी कदीम से काश्त करते आ रहे है। रेवेन्यू भूमि के बंटवारे के समय विशेष ध्यान दिये जाने योग्य तथ्य है कि जो हिस्सेदान जिस भूमि पर काश्त करता है अर्थात जिस हिस्सेदान का कब्जा है उसे वही भूमि हिस्सेदारी में दी जानी चाहिये। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण को अपीलार्थी नम्बर 2 लगायत 5 के पिता एवं अपीलार्थी नम्बर 1 के पति के कब्जे काश्त में चली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

आ रही 12 बीघा खाम भूमि में से 2 बीघा भूमि कम की जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 फुलाराम के हिस्से में 2 बीघा भूमि मिलाई गयी है जो कतई गलत है बल्कि अपीलार्थीगण के हिस्से पर कतई कुठाराघात हुआ है। तथाकथित विभाजन प्रस्ताव एवं साथ में प्रस्तुत नजरी नक्शे को देखने से स्पष्ट होता है कि स्व. रामनिवास के हिस्से में से भूमि काट कर अर्थात सड़क के किनारे की भूमि कैलाश को दी गई जबकि अपीलार्थीगण के हिस्से में सबसे कमजोर भूमि होते हुये भी उसको रकबा कम दिया गया जो कतई गलत है। इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई गोर नही करने में भयंकर कानूनी भुल की है। इस कारण भी निर्णय एवं डिक्री विचारण न्यायालय निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार बुहाना द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार बुहाना द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में अपीलांट की ओर से कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)